न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2004/15 दायर दिनांक 07.02.2004

वादी		प्रतिवादीगण
1. नजीर खां पुत्र मिश्रु खां जाति धोबी मुसलमान निवासी धनकोली तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. भूरे खां पुत्र बादर खां 2. बादर खां पुत्र सुल्तान खां जाति धोबी (फौत) 2/1 भुरे खां पुत्र स्वं0 बादर खां 2/2 हकीम खां पुत्र स्व0 बादर खां 2/3 शेरदीन पुत्र स्व0 बादर खां 2/4 खातुन पत्नी स्व0 बादर खां 2/5 नूर जहां पुत्री स्व0 बादर खां 2/6 मेहरून पुत्री स्व0 बादर खां 2/7 आचुकी पुत्री स्व0 बादर खां 2/8 जहूर बानों पुत्री स्व0 बादर खां समस्त जाति धोबी मुसलमान निवासीगण धनकोली तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 3. तहसीलदार डीडवाना/उप तहसीलदार मौलासर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 188 R.T.Act.

उपस्थितः—
1. श्री ओमप्रकाश मोठ, अधिवक्ता, प्रतिवादी सं0 01 व 2/1 ता 2/8

—:: निर्णय ::—

दिनांक 08.09.2017

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि, ग्राम धनकोली के खेत खसरा सं0 366 रकबा 31 बीघा 09 बिस्वा में से 1/4 भूमि वादी नजीर खां पुत्र मिश्रु खां एवं सलीम पुत्र उजीरा की संयुक्त कब्जा काश्त एवं खातेदारी की है। प्रतिवादी भूरे खां ने उक्त 1/4 खातेदारी का आधा यानि 1/8 भाग सलीम पुत्र उजीरा से जरिये रजिस्ट्रर्ड बैचान दिनांक 11.06.03 के क्रय कर लिया तथा उसका नामान्तरकरण राजस्व रिकार्ड में दर्ज भी कर लिया। प्रतिवादी परिवार एवं वादी परिवार परस्पर चाचा—ताऊ के लडके भाई है। प्रतिवादी एक ने 1/8 हिस्सा सलीम से क्रय करने के पश्चात उसकी आड में शेष 1/8 वादी के खातेदारी के हिस्से पर भी अपनी नजर डाली है। वादी को सुनने में आया है कि वह राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके वादी की खातेदारी की 1/8 संभावित हिस्से का भी नामान्तरकरण अपने नाम कराना चाहता है तथा वादी को बदेखल करना चाहता है। इसके पिछे वह अपने पक्ष में कोई दस्तावेज लिखा होना कथित करने लगा है, किन्तु उक्त असल

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2004/15
दायर दिनांक 07.02.2004, निर्णय दिनांक 08.09.2017
नजीर खां बनाम भूरे खां, वगैरा।

दस्तावेज क्या है वह वादी को नहीं बता रहा है न ही वादी ने कभी ऐसा कोई दस्तावेज प्रतिवादी एक के पक्ष में निष्पादित किया है। प्रतिवादी सं0 01 निश्चित तौर पर कोई फर्जी कुटरचित दस्तावेज के आधार पर ऐसा कुछ करना चाहता है। जिसकी जानकारी वादी को बावजुद प्रयासों के नहीं मिल रही है। ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर वादी तदनुसार कार्यवाही करेगा। किन्तु यदि प्रतिवादी एक भूरे खां तथा प्रतिवादी सं0 02 उसके पिता बादर खां उक्त नामान्तरकरण जैसी कार्यवाही में सफल हो गये एवं वादी को उसकी खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल कर दिया तो वादी को भारी अजहद नुकसान होगा जिसकी पूर्ति नकदी से संभव नहीं है। इस कारण अन्य विकल्प नहीं होने से यह वाद स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत है।

प्रार्थना वादी है कि स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमावें कि खेत खसरा सं0 366 रकबा 31 बीघा 08 बिस्वा सरहद धनकोली के 1/8 संभावित भाग के खातेदार/हिस्सेदार वादी नजीर खां की भूमि का म्यूटेशन प्रतिवादी सं0 01 व 02 के पक्ष में नहीं किया जावें तथा इस संबंध में प्रतिवादी सं0 03 राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें एवं इस 1/8 हिस्से तक वादी को बेदखल नहीं करें न अन्य किसी से करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 02 को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी सं0 01 की तरफ से जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश हुआ। प्रतिवादी ने निवेदन किया कि ग्राम धनकोली के खसरा सं0 366 रकबा 31 बीघा 09 बिस्वा में से 1/4 भाग वादी व सलीम खां पुत्र स्व0 उजीरा की संयुक्त खातोरी की रही थी आज नहीं है। क्योंकि वादी ने अपना हिस्सा दिनांक 08.09.1978 को प्रतिवादी सं0 01 भूरा उर्फ भूरे खां को विक्रय कर दिया तथा इसका पंजीयन उप पंजीयन अधिकारी डीडवाना के कार्यालय में करवा दिया। वादी ने उक्त विक्रय पत्र में सलीम का स्वर्गवास बताकर सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 भाग का विक्रय किया तथा इसकी एवज में प्रतिवादी सं0 01 से रूपये 1700/– प्राप्त कर लिया और प्रतिवादी सं0 01 को निम्न पडौस बी की जमीन जो वादी के कब्जा काश्त में थी का मौके पर भौतिक कब्जा सुपुर्द कर दिया तब से आज तक प्रतिवादीगण ही काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। वादी ने प्रतिवादी सं0 01 को धोखा देकर सलीम जो कि वादी नजीर खां के परिवार में बडे भाई का पुत्र है तथा वादी का भतीजा है तथा सलीम का जन्म ननिहाल कुचामन में हुआ है इसके पहले ही पिता उजीरा का इन्तकाल हो गया था तथा बाद में इसकी माता ने इन्दौर में पुर्नविवाद किया तब सलीम को अपने साथ ले गई। जिससे सलीम का यहां ग्राम धनकोली में नहीं होने पर प्रतिवादी सं0 01 ने वादी द्वारा यह कथन करने पर कि सलीम की मृत्यू हो गई है तथा सम्पूर्ण 1/4 हिस्सा अब मेरा ही है तब प्रतिवादी सं0 01 ने इससे विक्रय करवाया था जब कि विक्रय पंजीयन दिनांक 08.09.1978 के रोज भी वादी को यह भली प्रकार पता था कि सलीम जिन्दा है तथा अभी अपनी माता के साथ इन्दौर में है। वादी ने छल कपट कर और प्रतिवादी सं0 01 को धोखे में रख कर सलीम के हिस्से का विक्रय कर इसके हिस्से की राशि स्वयं हडप कर गया इसका फौजदारी प्रकरण प्रतिवादी सं0 01 अलग से वादी के विरूद्ध

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद, संख्या 2004/16
दायर दिनांक 07.02.2004, निर्णय दिनांक 08.09.2017
नजीर खां बनाम भूरे खां, वगैरा।

करने जा रहा है। प्रतिवादी सं0 01 ने जब अपने विक्रय पंजीयन के आधार पर ग्राम सभा में अपने नाम से नामान्तरकरण भरवाने हेतु माह मई 03 को हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो यह जानकारी में आयाकि सलीम पुत्र उजीरा के नाम से खातेदारी में अंकन है तो प्रतिवादी सं0 01 ने इसकी खोजबीन करने पर पता चला कि वह इन्दौर में आबाद है तब प्रतिवादी सं0 01 सलीम को मोलासर लेकर आया और इसका 1/8 का विक्रय पंजीयन दिनांक 11.06. 2003 को रूपये 57,376/– अदा कर अपने पक्ष में करवाया। इस प्रकार वादी ने प्रतिवादी सं0 01 को धोखा देकर सलीम के हिस्से की राशि हडप कर गया इससे बचने के लिए झुठा वाद दायर कर दिया जो बिना कब्जे के चलने योग्य नहीं है। विक्रय पत्र की प्रति संलग्न है।

विशेष आपत्तियां एवं काउन्टर क्लेम :– वादी ने प्रतिवादी सं0 01 के नाम मौजा धनकोली में स्थित खेत खसरा सं0 366 रकबा 31 बीघा 09 बिस्वा में अपने 1/8 भाग का विक्रय दिनांक 08.09.1978 करो का पंजीयन कर वास्तविक कब्जा प्रतिवादी सं0 01 को सौंप देने तथा प्रतिवादी सं0 01 द्वारा अपने नाम से नामान्तरकरण कार्यवाही प्रारम्भ करने पर वादी द्वारा दिनांक 03.02.2004 को यह ऐलानिया धमकी दी कि इस हिस्से पर तुमको काश्त नहीं करने दुंगा व अन्य के पक्ष में विक्रय हस्तान्तरण कर दुंगा क्योंकि जमाबन्दी में आज भी मेरे नाम से खातेदारी दर्ज है वमुकाम धनकोली पेदा हुआ व न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से यह काउन्टर क्लेम अन्दर मयाद प्रस्तुत है। धनकोली के खसरा सं0 366 रकबा 31 बीघा 09 बिस्वा में से 1/8 भाग जो वादी के नाम दर्ज है को हटाया जाकर प्रतिवादी सं0 01 को इस हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें तथा वाद प्राप्त खातेदारी के प्रतिवादी सं0 01 के नाम राजस्व अभिलेख में जरिये काउन्टर क्लेम अमल दरामद करवाया जावें। प्रतिवादी सं0 01 के पक्ष में वादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जावें कि धनकोली के खसरा सं0 366 रकबा 31 बीघा 09 बिस्वा के 1/4 भाग में किसी प्रकार की दखल अंदाजी हस्तक्षेप न तो स्वयं करें तथा न किसी अन्य से करावें।

दिनांक 29.08.2005 को पत्रावली में तनकीयात कायम की गई। साक्ष्य वादी में वादी व दो अन्य गवाह के शपथ पेश हुए। वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह नहीं करने पर साक्ष्य प्रतिवादी पत्रावली रखी गई। साक्ष्य प्रतिवादी हेतु काफी अवसर दिये जाने के बावजुद भी साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करने पर पत्रावली वास्ते बहस रखी गई।

बहस हेतु वकील प्रतिवादी उपस्थित। वकील वादी को बार बार आवजे लगाई गई। बावजुद आवाजों के वकील वादी अनुपस्थित। बहस एक पक्षीय सुनी गई। वकील प्रतिवादी ने अपने काउन्टर क्लेम को स्वीकार करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। तत्सम्बधी विधि का अध्ययन् किया। बहस पर मनन् किया।

रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं0 01 भूरे खां ने जरिये पंजीकृत दस्तावेज से दिनांक 08.09.1978 व 11.06.2003 के द्वारा सम्पूर्ण 1/4 हिस्सा खरीद लिया है। प्रतिवादी द्वारा सलीम से खरीद सुदा भूमि का नामान्तरकरण करवा लिया है तथा वादी नजीर खां से खरीद सुदा भूमि का नामान्तरकरण आज दिनांक तक नहीं हुआ है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2004 / 15
दायर दिनांक 07.02.2004, निर्णय दिनांक 08.09.2017
नजीर खां बनाम भूरे खां, वगैरा।

प्रतिवादी ने पंजीकृत दस्तावेज से उक्त जायगा को खरीद किया है पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद पोषनीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर वाकै सरहद धनकोली के खसरा सं0 366 रकबा 31 बीघा 09 बिस्वा में नजीर खां के स्थान पर प्रतिवादी सं0 01 भूरे खां को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 08.09.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी वमुकद्दमे इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या 2004/15 दायर दिनांक 07.02.2004

वादी		प्रतिवादीगण
1. नजीर खां पुत्र मिश्रु खां जाति धोबी मुसलमान निवासी धनकोली तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. भूरे खां पुत्र बादर खां 2. बादर खां पुत्र सुल्तान खां जाति धोबी (फौत) 2/1 भुरे खां पुत्र स्व0 बादर खां 2/2 हकीम खां पुत्र स्व0 बादर खां 2/3 शेरदीन पुत्र स्व0 बादर खां 2/4 खातुन पत्नी स्व0 बादर खां 2/5 नूर जहां पुत्री स्व0 बादर खां 2/6 मेहरून पुत्री स्व0 बादर खां 2/7 आचुकी पुत्री स्व0 बादर खां 2/8 जहूर बानों पुत्री स्व0 बादर खां समस्त जाति धोबी मुसलमान निवासीगण धनकोली तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 3. तहसीलदार डीडवाना/उप तहसीलदार मौलासर

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा–188 R.T.Act.

दिनांक 08.09.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री ओमप्रकाश मोठ, अधिवक्ता, प्रतिवादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा डिक्री सादिर कर सरहद इनकोली के खसरा सं0 366 रकबा 31 बीघा 09 बिस्वा में नजीर खां के स्थान पर प्रतिवादी सं0 01 भूरे खां को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....–..... मुवलिंग.....–..... बाबत.....–.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....–..... आज की तारीख को अदा करें।बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 08.09.2017 को जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner